

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या- 1326/पांच-8-2016-म(4)/2015
लखनऊ : दिनांक 12 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-41/926/पांच-8-2015-म(04)/2015, दिनांक 04-03-2015 द्वारा डा0 सुजीत कुमार, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर के अधीन नवनियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी थी। डा0 सुजीत कुमार, द्वारा दिनांक 21-04-2015 को योगदान किया। डा0 कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ, मिर्जापुर में दिनांक 22-04-2015 से दिनांक 24-04-2015 तक कार्यरत रहे तत्पश्चात बिना किसी सूचना के दिनांक 25-04-2015 से दिनांक 10-06-2015 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। डा0 कुमार ने अपने पत्र दिनांक 11-06-2015 द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 12-04-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0सुजीत कुमार, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर के अधीन योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- डा0 सुजीत कुमार, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 06-06-2016 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

जी0सी0 कठेरिया
संयुक्त सचिव।

क्रमशः

संख्या- 1326 (1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा० सुजीत कुमार, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 06-06-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।
- 3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विन्ध्याचल मण्डल मिर्जापुर।
- 5- मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर।
- 6- कोषाधिकारी, मिर्जापुर।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

✓